सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय- एस सी रोड़,
जयपुर-302001 फोन-0141-4913586

सार्वजनिक नीलामी बिक्री (अन्तर्गत प्रतिभूति हित नियम 9)

बैंक के पास बंधक रखी हुई अचल सम्पत्ति की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अन्तर्गत बिक्री

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न सूची के अनुसार उक्त एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित ऋण खातों में वसूली की जानी है, प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देश पर नीचे वर्णित सूची के अनुसार सम्पत्ति की नीलामी की जा रही है, सम्पत्ति को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति नीचे वर्णित सूचना के अनुसार नीलामी स्थल दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं, सम्पत्ति का कब्जा बैंक द्वारा ले लिया गया है। नीलामी की शर्तों एवं निबन्धन हेतु बैंक की वेबसाईट **www.centralbankofindia.co.in** पर विजिट करें अथवा **शाखा प्रबंधक श्री विनोद मीणा मो. 7976150263** पर सम्पर्क करें।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम व पता	ऋण की राशि एवं भविष्य का ब्याज	मांगपत्र की दिनांक	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि
श्री पप्पू लाल मीणा पुत्र श्री शम्भू दयाल मीणा निवासी गांव शिसोदिया, ग्राम पंचायत सोनड, तहसील लाल सोट (रामगढ़ पचवारा) जिला दौसा, (राजस्थान), एवं श्री कालू पुत्र श्री बक्शा मीणा निवासी झाकुन्द की ढाणी, सोनड तहसील लालसोट (रामगढ़ पचवारा) जिला दौसा (राजस्थान)	रू. 3,28,444/- दिनांक 15.02.2020 तक एवं उसके पश्चात के ब्याज व समस्त कानूनी खर्चे अतिरिक्त	06.07.2019	जिन सभी आवश्यक भागों (Part & Parcel) से मिलकर यह संपत्ति बनती है- श्री पप्पू लाल मीणा पुत्र श्री शम्भू दयाल मीणा के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 4313, आबादी भूमि गांव शिसोदिया, ग्राम पंचायत सोनड, तहसील लालसोट (रामगढ़ पचवारा) जिला दौसा (राजस्थान) के अंश है, कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज है। संपत्ति के हक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति एवं दिशाएं निम्न है। उत्तर में- आबादी भूमि, दक्षिण में- आम रास्ता, पूर्व में- आबादी भूमि, पश्चिम में- गोपाल मीणा की खातेदारी भूमि।	रू. 3,50,000/-	रू. 35,000/- (आरक्षित मूल्य का 10%)	रू. 5,000/- के गुणक में

नीलामी दिनांक 23.03.2020, दोपहर: 03.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक नीलामी स्थल:- शाखा परिसर सोनड जिला दौसा में की जायेगी।
धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक व समय: 23.03.2020 मौके पर दोपहर 02:00 बजे तक **निरीक्षण की दिनांक: 20.03.2020**

नीलामी की नियम व शर्त- 1. संपत्ति जैसी भी है जहां है के आधार पर विक्रय की जायेगी। 2. आरक्षित दर से कम राशि की बोली स्वीकृति नही होगी तथा नीलामी बोली में भाग लेने हेतु प्रस्ताव के साथ, आरक्षित मूल्य का 10% धरोहर राशि उपरोक्तानुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी। 3. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 25% मय धरोहर राशि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या नगद नीलामी दिनांक से 24 घण्टे के भीतर जमा करानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जावेगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी होगी। 4. सफल बोलीदाता को विक्रय राशि का शेष 75% विक्रय पुष्टि की दिनांक से 15 दिवस के अंदर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सहमत अवधि में जमा करवाना होगा, भुगतान नही करने की दशा में पूर्व में जमा सम्पूर्ण राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जावेगी। 5. असफल बोलीदाताओं की रकम बिना ब्याज लौटा दी जायेगी। 6. किसी समय उक्त नीलामी को बिना कोई कारण बताए रद्द/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। 7. सभी तरह के विविध खर्चे, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि का भुगतान का भार खरीददार को वहन करना होगा। 8. नीलामी सूचना पत्र/विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा। 9. समस्त बोलीदाता बोली से पूर्व अपने पेन कार्ड प्रति एवं अन्य कोई भी आईडी प्रुफ जिसमें उनका पता अंकित हो, की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे। 10. अन्य सभी नियम व शर्ते प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीलामी प्रारम्भ करने के समय अधिसूचित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कार्य समय में प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते है।

दिनांक: 21.02.2020

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर